



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में चोरी का प्रयास करने की घटना कारित करने के आरोपी वसीम को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 13 माह 14 दिन का कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त वसीम पुत्र इस्लाम निवासी छपरौली चुंगी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा चोरी का प्रयास करने की घटना कारित की गयी थीं जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 1048/2022 धारा 380/511 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 22.05.2026 को मा0 न्यायालय सीजेएम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त वसीम को दोषी पाते हुए 13 माह 14 दिन के कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की घटना कारित करने के आरोपी सलाऊ व इमरान को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व 15-15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2019 में अभियुक्तों सलाऊ पुत्र अलीजान निवासी बडका रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत व इमरान पुत्र जमील निवासी गुराना रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 347/2019 धारा 363/376डी भादवि व 3/4/5/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 22.05.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट-05 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों सलाऊ व इमरान को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 15-15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



नरेन्द्र पंवार
एडीजीसी



है0का0 पंकज कुमार
कोर्ट पैराकार



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 22.05.2026

थाना बड़ौत पुलिस व सर्विलांस सैल की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) व 03 अन्य अभियुक्तों किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 अवैध तमंचा .12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस .12 बोर तथा 01 गाड़ी स्विफ्ट डिजायर बिना नम्बर प्लेट व 02 नम्बर प्लेट नं0- UP-17-AT-2371 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 21/22.05.2026 की रात्रि थाना बड़ौत पुलिस व सर्विलांस सैल की संयुक्त टीम द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक



स्विफ्ट डिजायर कार, जिस पर नम्बर प्लेट नहीं लगी थी, आती हुई दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा वाहन को रुकने का इशारा किया गया, किन्तु वाहन सवार व्यक्ति गाड़ी छोड़कर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी । पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) व 03 अन्य अभियुक्तों गिरफ्तार किया गया है, वायल अभियुक्त

को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 अवैध तमंचा .12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस .12 बोर तथा 01 गाड़ी स्विफ्ट डिजायर बिना नम्बर प्लेट व 02 नम्बर प्लेट नं0- UP-17-AT-2371 बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 345/26 धारा 109(1) बी.एन.एस व 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट-गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि उनके द्वारा उक्त स्विफ्ट डिजायर कार एवं तमंचे लूट की घटनाओं को अंजाम देने के उद्देश्य से रखे गए थे। अभियुक्तों ने बताया कि जब वे लूट की घटना करते थे तो पहचान छिपाने हेतु गाड़ी की नम्बर प्लेट उतार देते थे, जिससे पुलिस द्वारा उनकी पहचान न की जा सके। अभियुक्तों के कब्जे से अवैध शस्त्र एवं घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटनास्थल-लुहारी कोताना रोड पर करीब 100 मीटर आगे स्थित ट्यूबवेल के पास थाना बड़ौत । (दिनांक 21.05.26 रात्रि 23.26 बजे)

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. सोनू पुत्र संजीव निवासी ग्राम उमरपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर (घायल अवस्था)।
2. दीपांशु पुत्र सतेन्द्र निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली हाल पता कोताना रोड बिजली घर के सामने कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
3. अकुल पुत्र सुभाष निवासी ग्राम खेडा हटाना थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
4. सागर पुत्र अजय कुमार निवासी ग्राम लिसाड थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

गिरफ्तार अभियुक्त सोनू का आपराधिक इतिहास

1-मु0अ0सं0 304/22 धारा 307/393 भादवि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।

2-मु0अ0सं0 306/22 धारा398/401 भादवि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

3-मु0अ0सं0 308/22 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

4-मु0अ0सं0 491/22 धारा 147/208/323/325/504/506 भादवि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर,
- 01 अवैध तमंचा .12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस .12 बोर
- 01 गाड़ी स्विफ्ट डिजायर बिना नम्बर प्लेट
- 02 नम्बर प्लेट नं0- UP-17-AT-2371 बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 संजय कुमार प्रभारी सर्विलांस सैल मय टीम ।

2-उ0नि0 श्री संजीव चौधरी थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

3-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत

4-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

5-उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

6-उ0नि0 श्री ओमपाल सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

7-है0का0 437 बलजीत थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

8-है0का0 738 अरुण थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

9-का0 463 पवन नागर थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

10-का0301 मुलायम सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

11-का0399 राहुल चौहान थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

12-का0666 रघुवीर थाना बड़ौत जनपद बागपत ।



BAGHPAT POLICE



थाना साइबर क्राइम, जनपद बागपत

**थाना साइबर क्राइम, जनपद बागपत द्वारा एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी कर
ठगी गई सम्पूर्ण धनराशि**

90,000/- रुपये को वापस कराया

गया-

पीड़ित मनोज कुमार जोशी पुत्र श्री राज्य वर्धन जोशी, निवासी कोर्ट रोड आदर्श कॉलोनी बागपत थाना कोतवाली बागपत, जनपद बागपत द्वारा एनसीआरपी (NCRP) पोर्टल पर Acknowledgement संख्या 33109250125859 के माध्यम से ₹90,000 की साइबर धोखाधड़ी के संबंध में एक प्रार्थना पत्र थाना साइबर क्राइम, जनपद बागपत को प्रेषित किया गया।



प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीड़ित को अपनी बातों में बहला-फुसलाकर ₹ 90,000 की धनराशि उसके खाते से धोखाधड़ी पूर्वक ट्रांसफर करा ली गई।

थाना साइबर क्राइम, जनपद बागपत द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की गई। संबंधित बैंक खाते, जिसमें धोखाधड़ी की धनराशि स्थानांतरित हुई थी, को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कराया गया तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए पीड़ित की समस्त ठगी गई धनराशि ₹ 90,000 उसके खाते में सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

धनराशि वापस प्राप्त होने पर पीड़ित द्वारा थाना साइबर क्राइम, जनपद बागपत पुलिस की त्वरित कार्यवाही एवं सराहनीय प्रयासों की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र०सं०	थाना	प्रा० पत्र सं०	वापस करायी गयी धनराशि
1	साइबर क्राइम	33109250125859	90,000 /-

धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीम

थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 22.05.2026

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 68/2026 धारा
137(2)/65(2)/351(3) बीएनएस व 5m/6 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त
को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही -

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 68/2026 धारा 137(2)/65(2)/351(3) बीएनएस व 5m/6 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

आकाश कुमार पुत्र श्रीनिवास नि0 ग्राम व थाना रमाला जनपद बागपत उम्र 21 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1-व0उ0नि0 श्री दिनेशपाल पाल सिंह थाना रमाला जनपद बागपत
- 2- है0का0 164 विकास कुमार थाना रमाला जनपद बागपत
- 3- रि0का0 178 हरेन्द्र कुन्तल थाना रमाला जनपद बागपत